उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-177/2017/64मं0आ0/92-2-2017-07जॉच/2014

लखनऊ :: दिनांक:: 11 अक्टूबर, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियत्रण विभाग, प्रखण्ड-रायबरेली में राष्ट्रीय माध्यमिक योजना के अंतर्गत निर्माण कराये गये राजकीय हाईस्कूल भवन, पश्चिम गांव, विकास खण्ड-हरचन्दपुर की टी0ए0सी0 जांच में पायी गयी अनियमितताओं के लिए प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-203/92-2-15-07जांच/2014 दिनांक 11-03-2015 द्वारा श्री एस0पी0पाण्डेय, सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-रायबरेली के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-इलाहाबाद को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया। जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-इलाहाबाद के पत्र दिनांक 13-07-2017 एवं दिनांक 19-05-2017 द्वारा जॉच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी।

2- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-इलाहाबाद द्वारा उपलब्ध करायी गयी जॉच आख्या में परीक्षणोपरान्त यह परिलक्षित हुआ कि श्री एस0पी0 पाण्डेय, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-रायबरेली द्वारा मुख्य प्राविधिक परीक्षक, टी0ए0सी0 की जॉच के बाद कतिपय माप पुस्तिकाओं में हस्ताक्षर कर राजकीय अभिलेखों में छेडछाड किया गया। उक्त हेतु शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-161/2017/1604/92-23-17-07जांच/2014 दिनांक 01-09-2017 द्वारा श्री पाण्डेय को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुये कार्यालय अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-इलाहाबाद से सम्बद्व कर दिया गया।

3- श्रीमती मन्जू पाण्डेय, पत्नी श्री एस0 पी0 पाण्डेय के प्रार्थना पत्र दिनांक 07-09-2017 एवं श्री एस0पी0 पाण्डेय के प्रत्यावेदन दिनांक 14-09-2017 में किये गये अनुरोध के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त श्री एस0पी0 पाण्डेय, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-रायबरेली को तत्काल प्रभाव से सेवा में इस शर्त के साथ बहाल किया जाता है कि उनके विरूद्व प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही यथावत प्रचलित रहेगी।

4- उक्त बहाली के पश्चात श्री एस0पी0 पाण्डेय, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-रायबरेली की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेगें।

[redacted]

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-177/2017/64मं0आ0(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0।

2- श्री एस0पी0 पाण्डेय, सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-रायबरेली सम्प्रति प्रखण्ड-इलाहाबाद द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र नाथ सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।